भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1320

दिनांक 03.07.2019/ 12 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

इस्लामिक स्टेट के कट्टरपंथियों और समर्थकों की मौजूदगी

1320. श्री अमर सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के कट्टरपंथियों और समर्थकों की संख्या काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा इस संस्थान के विरुद्ध प्रत्येक राज्य में दर्ज किए गए मामलों की संख्या क्या है और उन मामलों की क्या स्थिति है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): दक्षिण के राज्यों सहित विभिन्न राज्यों के लोगों के आईएस में शामिल होने के कुछ मामले केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के ध्यान में आए हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और राज्य पुलिस ने आई एस सदस्यों/उनके साथ सहानुभूति रखने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज़ किये हैं और पूरे देश में अब तक 160 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस्लामिक स्टेट (आईएस)/इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड लेवांत (आईएसआईएल)/इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस)/दाएश को केंद्र सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। आई एस अपनी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने के लिए इंटरनेट आधारित

विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का उपयोग कर रहा है। सम्बंधित एजेंसियों द्वारा इस संबंध में साइबर स्पेस की गहन निगरानी की जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग): राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आईएस से संबंधित 27 मामले दर्ज किये हैं, जिनमें 110 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 27 मामलों में से, एनआईए ने दक्षिण भारत के 18 मामलों में 56 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

******